समाहरणालय, अररिया
(जिला स्थापना प्रशाखा)
दूरभाष सं. : 06453-222001 (का0)
: 06453-222102 (आ0)
फैक्स सं. : 06453-222124
email Id : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

सचिव-सह-अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक बि0प्र0सु0मि0सो0/आवंटन-01/2018 सो0 697, दिनांक 09.04.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 में 01 माह (मार्च, 2019) के व्यय हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, से मांग संख्या-33 के अन्तर्गत योजना मद बजट मुख्य शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0122-बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाईटी (विपत्र कोड-P2052000920122) राज्य योजना स्कीम कोड GEN 5513 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-3106 सहायक अनुदान "गैर वेतन" मद में जिला/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, के वाहन व्यय हेतु कुल-मो0 67800.00 (सड़सठ हजार आठ सौ) रूपये इस जिले के संसूचित बैंक खाता में हस्तान्तरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2- उक्त विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान "गैर वेतन" मद में जिला/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, के वाहन व्यय हेतु प्राप्त आवंटन/राशि मो0 67800.00 (सड़सठ हजार आठ सौ) रूपये को निम्नांकित पदाधिकारियों के नाम के सम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

विषय शीर्ष-3106 "गैर वेतन" मद में उपलब्ध करायी जा रही राशि का विवरण :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	Dist And Sub-Dsv PGRO Vehicle	कुल राशि
1	2	3	4
1	जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया	21000.00	21000.00
2	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया	23400.00	23400.00
3	अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज	23400.00	23400.00
		कुल	67800.00

मो0 सड़सठ हजार आठ सौ रूपये मात्र।

3- विषय शीर्ष-3106 "गैर वेतन" मद में उपलब्ध करायी जा रही इस राशि का व्यय जिला एवं अुनमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के वाहन के भाड़ा भुगतान हेतु किया जायेगा।

4- यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला/अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के वाहन भाड़ा का निर्धारण/भुगतान मिशन कार्यालय के पत्रांक 522, दिनांक- 24.04.2017 द्वारा संसूचित इन पदाधिकारियों के लिए निर्दिष्ट वाहन के प्रकार एवं निर्धारित की गयी दूरी की अधिसीमा को दृष्टिपथ में रखकर ही किया जायगा।

5- उपलब्ध करायी जा रही राशि का व्यय पूरी छानबीन के पश्चात नियमानुसार ही किया जाएगा। अन्यथा किसी छद्‌मपूर्ण या अनियमित भुगतान की पूरी जवाबदेह संबंधित पदाधिकारी की होगी।

6- उपावंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।

7- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य समतुल्य वित्तीय प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके।

8- उपावंटित राशि का विचलन अन्य इकाई मद में नहीं किया जाएगा।

9- उपर्युक्त उपावंटित राशि के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर तर्क संगत रुप से राशि की अधियाचना पूर्व में कुल उपावंटित राशि, अद्यतन व्यय एवं अवशेष राशि के साथ की जाय।

10- जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया उपावंटित राशि का चेक सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11– सभी संबंधित पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अबिलम्ब ससमय जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि विभाग को जिला स्तर से संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जा सके।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक– 367 /स्था0, दिनांक– 21/05/2019

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया/फारविसगंज को सूचनार्थ तथा आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला/अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया/फारविसगंज/ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आई0 टी0 प्रबंधक, अररिया/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के वेब–साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

20/5

जिला पदाधिकारी,
अररिया

Latter h517